

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर०ए०एस०)

आपील संख्या :- 88/2005 (223 आर०टी०एक्ट०)

आरसीएमएस संख्या :- 2005/00008

उनवान

1. भीना कुमारी विधवा सुजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी पिचूना तहसील रूपवास।
 2. अरूण कुमार
 3. भरत कुमार
 4. अनुपमा कुमारी
 5. अजय कुमार पुत्र किशनचन्द जाति ब्राह्मण नि० पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
-अपीलाण्ट

वनाम

1. दया पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी जनकपुरी नई दिल्ली।
 2. विद्या पत्नी महेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी भरतपुर।
 3. शिवकुमारी पत्नी मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी 65 गांधीनगर शिवपुरी(म०प्र०)
 4. प्रेमलता पत्नी महेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी भरतपुर।
 5. जगरानी पत्नी राधाचरन (मृतक)
5/1. पुनीत उपाध्याय उम्र 40 वर्ष पुत्र माता श्रीमती जगरानी उपाध्याय जाति ब्राह्मण निवासी अनाह गेट बजरिया भरतपुर।
 6. बीना पत्नी सत्यप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी झाबुआ(म०प्र०)
 7. गायत्री देवी पत्नी किशन चन्द (मृतक)
7/1. अजय कुमार पुत्र किशनचन्द
7/2. भीना कुमारी विधवा सुजयकुमार
7/3. अरूण कुमार } पुत्र सुजयकुमार
7/4. भरतकुमार }
7/5. अनुपमा कुमारी पुत्री सुजय कुमार
- जाति ब्राह्मण नि० पिचूना तह० रूपवास, भरतपुर।

..... रैसपोडेण्ट



आपील संख्या :- 87/2005 (223 आर०टी०एक्ट०)

आरसीएमएस संख्या :- 2005/00007

उनवान

1. अजय कुमार पुत्र किशनचन्द
 2. भीनाकुमारी विधवा सुजय कुमार
 3. अरूण कुमार } पुत्र सुजय कुमार
 4. भरत कुमार }
 5. अनुपमा कुमारी पुत्री सुजय कुमार
 6. गायत्री देवी पुत्री छीतरमल पत्नी किशनचन्द (मृतक)
6/1. अजय कुमार पुत्र किशनचन्द
6/2. भीना कुमारी विधवा सुजयकुमार
6/3. अरूण कुमार } पुत्र सुजयकुमार
6/4. भरतकुमार }
6/5. अनुपमा कुमारी पुत्री सुजय कुमार
- जाति ब्राह्मण नि० पिचूना तह० रूपवास, भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वनाम

1. प्रेमलता पुत्री छीतरमल पत्नी महेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. श्रीमती दयावती पुत्री छीतरमल पत्नी प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी 127 ए जनकपुरी नई दिल्ली।
3. श्रीमती जगरानी पुत्री छीतरमल पत्नी राधाचरन (मृतक)
3/1. पुनीत उपाध्याय पुत्र माता जगरानी उपाध्याय जाति ब्राह्मण निवासी अनाह गेट भरतपुर।
4. शिवरानी पुत्री छीतरमल पत्नी मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गांधीनगर शिवपुरी (म०प्र०)
5. बीनादेवी पुत्री छीतरमल पत्नी सत्यप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी झाबुआ (म०प्र०)
6. श्रीमती विद्या देवी पुत्री छीतरमल पत्नी महेशचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कृष्णा कालोनी मकान नं 70 भरतपुर।
7. सतीशचन्द } पुत्र प्रभूदयाल
8. अनिल कुमार } पुत्र प्रभूदयाल
9. सुमित्रा पत्नी प्रभूदयाल (मृतक) } जाति बागरी ग्रा० नि० पिचूना तह० रूपवास जिला भरतपुर।
9/1. महेन्द्र कुमार } पुत्र स्व० प्रभूदयाल
9/2. सतीश कुमार }
9/3. अनिल कुमार }
10. महेन्द्र प्रताप
11. नन्दकिशोर
12. पदमशंकर पुत्र तोताराम जाति बागरी ब्राह्मण निवासी राजस्व बैंक के सामने नई मण्डी भरतपुर।
13. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र तोताराम जाति बागरी ब्राह्मण निवासी पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
14. संतोष शर्मा पुत्री तोताराम पत्नी निरंजन जाति बागरी ब्राह्मण निवासी मकान नं० 29/213 मंशा देवी गली राजा मण्डी आगरा।
15. मिथलेश पुत्री तोताराम पत्नी रोशनकिशोर जाति बागरी ब्राह्मण निवासी म० न० 913 लेवर कालोनी हाथरस(उ०प्र०)
16. मंजू पुत्री तोताराम पत्नी किशोर जाति ब्राह्मण निवासी बुद्ध की हाट भरतपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

.....रैस्प०

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 14.10.2005 प्रकरण संख्या क्रमशः 251/86, 4/98 शीर्षक सुजयकुमार बनाम दया आदि व 255/86, 5/98 शीर्षक प्रेमलता बनाम अजयकुमार आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास।

अभिभाषकगण :-

1. श्री महाराज सिंह अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक रैस्प० उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :-28.03.2022

1. यह दोनों अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय दिनांक 14.10.05 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में विवादित आराजी एवं पक्षकार समान होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों दावो को कंसोलिडेट किया जाकर एक ही निर्णय से

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निस्तारण किया गया है। अतः हम दोनों अपीलों का निस्तारण भी एक ही निर्णय से किया जाना उचित समझते हैं। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों पत्राचलियों में शामिल की जावें।


2. अपील संख्या ८८/०५ के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट सुजय कुमार वर्गो की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा ८८, ८९ व १८८ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम १९५५ विरुद्ध प्रतिवादी/रैस्पों दया वर्गो इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम पिचूना तहसील रूपवास में १९/२१ हिस्से के तथा खाता संख्या १०० में दर्ज विवादित आराजी वाके ग्राम पिचूना में १३/१४ हिस्से के वादीगण/अपीलाण्ट चहिस्सा बराबर व हैसियत खातेदार काश्तकार काफी अरसे से काश्त करते चले आ रहे हैं तथा लगान राज्य सरकार को अदा कर रहे हैं। परन्तु प्रतिवादिनीगण पढी लिखी एवं चतुर हैं जिन्होंने राजस्व कर्मचारियों से साज कर अपने पिता के जीवनकाल में वादीगण/अपीलाण्ट की लाइल्मी में खाता संख्या १०१ में वर्णित आराजी खसरा नम्बर में अपने नाम ४/७ हिस्से में तथा खाता संख्या १०० में दर्ज आराजी में ३/७ हिस्से में अपने नाम खातेदारी का इन्द्राज करा लिया है। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रतिवादी/रैस्पों विवादित आराजी से वादी/अपीलाण्ट को बेदखल करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।


3. अपील संख्या ८७/०५ के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पों प्रेमलता वर्गो ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा ८८, ८९ व १८८ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम १९५५ विरुद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट अजय कुमार वर्गो इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में छीतरमल मुताबिक जमाबन्दी खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में ही हम सभी बहनों के नाम वाद पत्र में अंकित खसरा नम्बर में से कुल कित्ता ५७ रकबा १८९ बीघा ११ विस्वा वाके ग्राम पिचूना तहसील रूपवास के २/३ भाग का काश्तकार बना दिया था। इसके अलावा वाद पत्र में अंकित खसरा नम्बर कुल कित्ता ५ कुल रकबा १३ बीघा ३ विस्वा वाके ग्राम पिचूना तहसील में भी हम सातो बहनों को १/२ भाग का खातेदार काश्तकार बना दिया था तथा इसी प्रकार पटवार कागजातो में हम सातो बहनों के नाम दर्ज हो गयी। तत्पश्चात् श्री छीतरमल की मृत्यु दिनांक १४.०५.१९८५ को हो गयी उनकी मृत्यु के पश्चात् हम सातो बहनों एवं माँ उनकी छोडी हुयी आराजी की एक मात्र वारिस हैं। प्रतिवादी/रैस्पों संख्या ०१ व ०२ सबसे बडी बहन गायत्री देवी के लडके हैं। उन्होंने स्व० श्री छीतरमल की बीमारी का लाभ उठाकर एक फर्जी वसीयतनामा दिनांक ३१.०१.१९८५ को अपने नाम तस्दीक करवाकर उक्त वसीयतनामा के आधार पर दिनांक २२.०६.१९८५ को श्री छीतरमल के स्थान पर अपने नाम जरिये दाखिला खारिज संख्या १००४ से राजस्व अभिलेख में करवा लिये। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रतिवादी/अपीलाण्ट विवादित आराजी से वादी/रैस्पों को बेदखल करने पर आमदा हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।



शु प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोजेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
5. अपीलाण्ट मीना कुमारी एवं अजय कुमार के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित आराजी स्व० छीतरमल की सेवा सुश्रुषा करने पर अपीलाण्ट अजयकुमार व सुजय कुमार व उनकी माँ गायत्री देवी को स्व० छीतरमल द्वारा करायी गयी पंजीकृत वसीयत दिनांक ३१.०१.१९८५ से प्राप्त हुयी है। रैस्पोजेण्ट का विवादित आराजी के किसी भाग से कोई संबंध नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काशत है। वसीयत के आधार पर नामान्तरण संख्या १००४ की अपील भी राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। लिहाजा वसीयत आज भी प्रभावी मानी जावेगी। उक्त वसीयत को भी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी साक्ष्य से प्रमाणित कराया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को ना मानने में भूल की है। स्व० छीतरमल के जीवनकाल में उसकी पुत्रियों को विवादित आराजी पर कोई अधिकार खातेदारी प्राप्त नहीं होते हैं जो नामान्तरण संख्या ४१३ व ५८७ रैस्पोजेण्ट के हक में बताये हैं वह कतई शून्य एवं निष्प्रभावी हैं। नामान्तरण स्वत्व का प्रलेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने शून्य एवं अवैध उक्त नामान्तरण पर भरोसा कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि वसीयतनामा दिनांक ३१.०१.१९८५ में वसीयतकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि उसने सातो लडकियों के नाम अलग-अलग खेत करा दिया है के आधार पर विवादित आराजी पर रैस्पोजेण्ट को अधिकार खातेदारी प्राप्त हो जाते हैं। कतई गलत है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से दावा भली भांति प्रमाणित होता है। वसीयतनामा दिनांक ३१.०१.१९८५ को साक्ष्य से अपीलाण्ट ने प्रमाणित कराया है। विवादित आराजी स्व० छीतरमल की स्वयं पैदा कर्दा आराजी थी जो छीतरमल ने गणेशी के साथ मिलकर नीलामी में खरीदी थी। अतः उन्हें विवादित आराजी की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य की ओर ध्यान ना देते हुये, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वसीयत को विरासत में प्राथमिकता दी जाती है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वसीयतधारी के हक में विरासत का नामान्तरण स्वीकृत किया जाना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार बताये वसीयत को नकारते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
6. रैस्पोजेण्ट दया एवं प्रेमलता के अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। छीतरमल ने दिनांक ३१.०१.१९८५ को वसीयत की। उक्त वसीयत पूरी जमीन की नहीं करायी है। वसीयत में स्पष्ट लिखा है कि सातो लडकियों को अलग-अलग जमीन दे दी है। इस प्रकार शेष बची हुयी जमीन की ही वसीयत मानी जावेगी, पूरी आराजी की नहीं। रैस्पोजेण्ट ने नामान्तरण संख्या १००४ को चैलेन्ज किया है। पंचायत के आदेश को उपखण्ड अधिकारी ने निरस्त किया। अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। नामान्तरण संख्या ४१३, ५८७ पर




भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (रा.ज.)

बोलने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है। वसीयत अधीनस्थ न्यायालय में साबित नहीं करायी। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने सातो लडकियों के नाम डिक्री कर दी, जो सही है। नामान्तकरण संख्या १००४ वसीयत के आधार पर खोला गया है जबकि छीतरमल की पत्नि जीवित थी एवं वसीयतकर्ता के जीवित रहते वसीयत का नामान्तकरण नहीं खोला जा सकता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने के पश्चात् ही वसीयत प्रभावी होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जाँच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो तनकीवार तार्किक है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट दोनों पक्षों द्वारा वसीयत दिनांक ३१.०१.१९८५ के आधार पर छीतरमल की समस्त आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा किया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मूल वसीयत का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वसीयत दिनांक ३१.०१.१९८५ को छीतरमल एवं उनकी पत्नी भगवती देवी द्वारा अजय कुमार व सुजय कुमार को की गयी है, जो रजिस्टर्ड है। वसीयत में छीतरमल एवं भगवती देवी ने अंकित किया है कि हमारी सात लडकियाँ हैं, सातो की शादियाँ हो चुकी हैं एवं कोई लडका नहीं है। पहले नम्बर की लडकी गायत्री देवी अरसा करीबन ३०-३५ साल से हमारे पास रह रही है एवं इसके दो लडके अजय कुमार एवं सुजय कुमार को हमने बचपन से ही अपने पास बुलाकर रख लिया एवं ये ही हमारे सेवा चाकरी कर रहे हैं एवं हमें विश्वास है कि आगे भी करते रहेंगे। हमारे मरणोपरान्त हमारा दाह संस्कार भी यही करेंगे। हमारी सातो लडकियों को हमने अलग-अलग खेत पटवार कागजात में करा दिया है। मेरी खातेदारी की आराजी एवं ग्राम पिचूना तीन मकान पुख्ता, मकान पुख्ता एक अलग से, नौहरा दो, गैत एक ग्राम पिचूना आदि की वसीयत अजय कुमार एवं सुजय कुमार को कर रहे हैं। छीतरमल ने एक वसीयत कार्यालय सवरजिस्ट्रार रूपवास में अपनी पत्नी श्रीमती भगवती देवी के नाम दिनांक २४.०१.८१ को तस्दीक करायी थी वह निरस्त समझी जावें। वसीयत के अध्ययन के पश्चात् हम पाते हैं कि छीतरमल द्वारा केवल अपनी खातेदारी की आराजी एवं मकान वगैरे की ही वसीयत वादी/अपीलाण्ट दोनों पक्षों को की गयी थी। अतः वादी/अपीलाण्ट को उक्त वसीयत के आधार पर छीतरमल की सम्पूर्ण आराजी पर दावे करने के कोई अधिकार हासिल नहीं थे। वह वसीयत के आधार पर मात्र छीतरमल के हिस्से की आराजी तक ही अधिकार रखते हैं, ना कि सम्पूर्ण आराजी पर। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावे में वसीयत दिनांक ३१.०१.१९८५ पर विश्वास ना करते हुये। स्व० छीतरमल के हिस्से की आराजी को भी सातो वहनो में विभाजित कर दिया है, जो हमारी दृष्टि में उचित नहीं है। क्योंकि उक्त वसीयत एक रजिस्टर्ड वसीयत है एवं आदिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हुयी है। लिहाजा आज भी प्रभावी मानी जावेगी। दौराने बहस रैस्प० ने भी वसीयत के संबंध में यही तर्क प्रस्तुत किये कि वसीयत में स्पष्ट लिखा है कि सातो लडकियों को अलग-अलग जमीन दे दी है। इस प्रकार शेष बची हुयी जमीन की ही वसीयत मानी जावेगी, पूरी आराजी की नहीं। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत २०३९-४२ प्रदर्श ४ व ५, जमाबन्दी संवत २०५६-५९ प्रदर्श-६ के अवलोकन से भी प्रमाणित है। उक्त जमाबन्दियों में विवादित आराजी में छीतरमल के साथ उनकी सातो पुत्रियों के नाम दर्ज अभिलेख हैं, जो नामान्तकरण संख्या ४१३, ५८७ से आये हैं। उक्त नामान्तकरण




३०
शु प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्थान अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

को भी किसी प्रकार गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उक्त नामान्तकरण छीतरमल के जीवनकाल में ही खोले गये हैं एवं वसीयत दिनांक ३१.०१.१९८५ में भी छीतरमल ने सातो पुत्रियों को जमीन देना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को दावा वादी/अपीलाण्ट खारिज ना करते हुये, वसीयत के आधार पर छीतरमल की हिस्से की आराजी तक दावा वादी/अपीलाण्ट आंशिक डिक्री करना चाहिये था। जहाँ तक वादी/अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तकरण स्व० छीतरमल की पत्नी भगवती देवी के जीवनकाल में खुलने का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। जिससे साबित होता हो कि कथित नामान्तकरण वसीयतकर्ता भगवती देवी के जीवनकाल में खोला गया हो। वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भगवती देवी की मृत्यु होना अंकित किया है। अतः इस तथ्य बाबत अब कोई विवाद नहीं रह जाता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

८. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, वादी/अपीलाण्ट दोनों को वसीयत दिनांक ३१.०१.१९८५ अनुसार स्व० छीतरमल के हिस्से की आराजी तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक १४.१०.२००५ इस हद तक अपास्त किये जाते हैं, शेष आदेश यथावत रहेंगे। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

९. निर्णय आज दिनांक २८.०३.२०२२ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




28-03-2022
(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर